न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), पुरवा उन्नाव।

UPUN120000631999

उपस्थित– हिमानी गौतम(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

दीवानी वाद सं0–167/1999

1– सूर्यबली पुत्र मेंडे उम्र 52 साल निवासी ग्राम लंगरपुर, परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव। **(मृतक दौरान वाद)**
1/1– प्रकाश नरायण उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व0 सूर्यबली,
1/2– रितेश कुमार उम्र 37 वर्ष पुत्र स्व0 सूर्यबली,
1/3– नरेन्द्र कुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व0 सूर्यबली,
1/4– रवि उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व0 सूर्यबली,
1/5– कुसुमा देवी उम्र 55 वर्ष पुत्री स्व0 सूर्यबली,
1/6– शान्ती देवी उम्र 35 वर्ष पुत्री स्व0 सूर्यबली,
1/7– श्रीमती विशुनदेई उम्र 75 वर्ष बेवा स्व0 सूर्यबली,
समस्त निवासीगण लंगरपुर पर0 व तह0 पुरवा जिला उन्नाव।

बनाम

1– बच्चूलाल पुत्र पूरन उम्र 35 साल निवासी ग्राम लंगरपुर परगना व तह0 पुरवा जिला उन्नाव।

निर्णय

1) प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

2) संक्षेप में वादपत्र के अनुसार वादपत्र हाजा के साथ वादपत्र हाजा के साथ संलग्न मानचित्र में मुजाहिरा क,ख,ग,घ मकान वादीगण हैं। जिसके सम्मुख जानिब उत्तर चबूतरा कायम है। बादहू अ,ब,स,द से दर्शित उसका प्राचीन सहन स्थित है। वादीगण का मुख्य निकास एन1 यथास्थान प्रदर्शित है। जो उसके अ,ब,स,द सहन की ओर जानिब उत्तर खुलता है। संलग्न मानचित्र में यही अ,ब,स,द उत्तरी सहन को आगे विवादित अभिकथित किया जायेगा। मकान वादीगण के जानिब पश्चिम एन2 से प्रदर्शित अन्य निकास हैं जिसके सम्मुख भी एक चबूतरा स्थित है। तत्पश्चात् थोड़ा सा सहन पश्चिमी जानिब भी वादीगण का कायम है। किन्तु इस पश्चिमी सहन का दावा हाजा में कोई विवाद नहीं है। मुजहिरा विवादित अ,ब,स,द सहन में जानवरों को बांधने हेतु कई खूटें चारा पानी हेतु दो चरन तथा एक अद्द कुआ वादी का स्थित है। जिसे नक्शे में यथास्थन प्रदर्शित कर दिया गया है। उक्त सहन के उपरान्त वादी के भाई रामफूल के मकान की पिछली दीवाल स्थित है। उक्त मकान का दरवाजा जानिब पूरब रास्ते की ओर है। अ,ब,स,द सहन वादीगण के उपरान्त जानिब पूरब तीरदार चिन्हों से

अंकित खरन्जा यूक्त आम रास्ता कायम है तथा एन1 सदरी निकास से वादी एवं उसके परिवार का सहन के जरिये उक्त रास्ते में आवागमन होता है सहन के कोने पूरब खरन्जा पर एक बिजली का खम्भा लगा हुआ है। मानचित्र के मकान प्रतिवादी को मुजाहिरा य,र,ल,व से दिखलाया गया है। जिसके सामने उसका चबूतरा बना हुआ है तथा एन3 उसके मकान का निकास है। इस प्रकार विवादित अ,ब,स,द सहन वादी एवं मकान प्रतिवादी के बीच में खरन्जा युक्त आम रास्ता है और प्रतिवादी का कोई हित अथवा वास्ता खरन्जा के उपरान्त अ,ब,स,द सहन वादी में होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। मकान प्रतिवादी के जानिब दक्षिण अन्य ग्रामवासी क्रमशः छेदीलाल, रामखेलावन, श्रीराम व बहादुर इत्यादि के मकानात स्थित हैं। मकानात के सभी निकास सामने खरन्जे की तरफ हैं। उक्त मकान प्रतिवादी पहले उसका सहन था और उसका पुराना मकान दूसरा था। उसने अभी हाल में 8 वर्ष पूर्व सरकारी योजना '' इन्दिरा आवास'' के तहत जो पैसा स्वीकार हुआ, नया कमरा य,र,ल,व निर्मित करवाया है। जिसमें अब सपरिवार रिहायश करने लगा और पुराने मकान को लकड़ी कण्डा रखने व जानवर बांधने के प्रयोजन से उपयोग में लाता है। मुजाहिरा अ,ब,स,द सहन वादी पर प्रतिवादी कुछ समय पूर्व से बुरी दृष्टि रखने लगा और अवैध कब्जा करने की बदनीयती से ग्रसित होकर तरह तरह की साजिश रचने लगा और अपने इन्हीं कुत्सित इरादों की पूर्ति के लिए वह वादी की चरन खूटे इत्यादि उखाड़कर उक्त सहन पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है तथा बल पूर्वक दीवाल निर्मित करके जगह घेरने के प्रयास में है। इस प्रकार संलग्न मानचित्र में अ,ब,स,द सहन वादीगण का ही विवाद दावा हाजा में है। जिसके मध्य में हरे रंग के विवादित सहन अंकित भी कर दिया गया है। जो ग्राम लंगरपुर परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव स्थित है और इसी विवादित स्थल की बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय श्रीमान में स्थापित किया जा रहा है। विवादित अ,ब,स,द सहन की चौहद्दी निम्न है–

पूरब –खरन्जा मार्ग बादहू मकान प्रतिवादी,

पश्चिम– भूमि अबादी एवं दुल्ला का खेत,

उत्तर– मकान रामफूल की पिछली दीवाल,

दक्षिण– मकान वादी सूर्यबली,

विवादित स्थल की बाबत वादीगण का कब्जा व दखल अर्सा 100 वर्षों से अपने पिता एवं बाबा के समय से खुल्लमखुल्ला चला आ रहा है। तथा उसके मालिकाना हकूक बदस्तूर अब भी कायम मुकाम हैं। जब कि प्रतिवादी का उक्त वादी के सहन से कोई वास्ता अथवा सरोकार न तो कभी रहा है और न है मगर वह अवैध कब्जा की बदनियती से दीवाल का निर्माण करके जगह घेरने की कोशिश में हैं और सहन

वादी पर बलपूर्वक कब्जा कर लेना चाहता है। जिसका कि उसे कोई कानूनी मजाज हासिल नहीं है। जिसका रोका जाना विधिक रूप से अति आवश्यक एवं अपेक्षित है। वादीगण अपने सहन अ,ब,स,द को उठने बैठने आवागमन, जानवर बांधने, चारा पानी देने, लकड़ी कण्डा रखने एवं कुएं से पानी इत्यादि भरने तथा अन्य कृषक एवं घरेलू कार्यों के प्रयोजन से उपयोग में लाता है तथा प्रतिवादी अगर अवैध एवं जबरन कब्जा करने की हरकत बेजा में कामयाब हो गया तो वादी का प्राचीन कब्जा एवं मालिकाना हक प्रभावित होगा तथा विवादित स्थल की बाबत जो '' सुखाधिकार'' उसे हासिल हैं वह समाप्त हो जावेगा तथा वादी को ऐसी क्षति का सामना करना पड़ेगा जो भविष्य में पूरी हो पाना सम्भव नहीं है। प्रतिवादी निहायत शोरेपुस्त आतंकवादी किस्त का अराजकतत्व है तथा गांव में सीधे सादे व्यक्तियों की भूमि हड़पने में माहिर फितरती किस्म का व्यक्ति है। थाना हाजा व राजनैतिक लोगों में उसकी पहुॅच है। प्रतिवादी अपने इसी आतंक एवं प्रभाव के बल पर क्षेत्रीय पुलिस की साजिश एवं सहयोग से अ,ब,स,द सहन पर जबरन दीवाल निर्मित कर जगह घेरने की फिराक में है और वादी की चरन व खूट इत्यादि उखाड़ कर बलपूर्वक सहन को हड़प कर वादी को उसके शान्तिपूर्ण कब्जे व दखल से बाहर कर देने की तेजी से कोशिश में हैं। दौरान मुकदमा वादी सूर्यबली की मृत्यु हो गयी है तथा प्रार्थीगण 1/1 ता 1/7 उनके जायज कानूनी वारिसान हैं। जिनका वादी की मृत्यु पश्चात् विवादित स्थल पर शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल है। जिस पर प्रतिवादी हस्ताक्षेप उत्पन्न कर रहा है। अर्सा 6–7 रोज का हुआ। जब प्रतिवादी क्षेत्रीय अराजक तत्वों के साथ संगठित होकर मय हथियारबन्द विवादित स्थल पर आया और आमादा फसाद होकर मुजाहिरा अ,ब,स,द सहन वादी पर जबरिया कब्जा करना चाहा और वादी की चरन व खूटे इत्यादि तोड़ने की बेजा कोशिश की एवं जगह घेरने के इरादे से दीवाल हेतु नींवे खुदवानी चाही जिसको वादी ने सफल नहीं होने दिया। मगर प्रवितादी आइन्दा यह एलानियॉ धमकी दे गया कि वह शीघ्र ही पुनः आकर अ,ब,स,द सहन वादी पर बलपूर्वक कब्जा कर लेगा और दीवाल निर्मित कर जगह की घेरा बन्दी कर लेगा तथा वादी को मौके से बेदखल कर देगा। प्रतिवादी उक्त धमकी के अन्तर्गत अपनी हरकत बेजा के क्रियान्वयन हेतु तेजी से प्रयत्नशील है। अतः वादी के सम्मुख दावा हाजा की आवश्यकता उत्पन्न हुई और यही कारण दावा है। जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। उक्त आधारों पर यह प्रार्थना की गयी है कि डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे तद्नुसार प्रतिवादी को सदैव के लिए मना कद दिया जावे कि वह वादपत्र हाजा के साथ संलग्न मानचित्र में यथास्थान प्रदर्शित मुजाहिरा अ,ब,स,द सहन वादी पर बलपूर्वक कब्जा न करें और न ही किसी भॉति गैर कानूनी रूप से दीवाल का निर्माण कर जगह की घेरा

बन्दी करें तथा विवादित स्थल की बाबत वादी के शान्तिपूर्ण प्राचीन कब्जा व दखल में प्रतिवादी किसी किस्म की मुजाहमत उत्पन्न करें।

3) प्रतिवादीगण की ओर से वादी के अधिकाशं कथनों से इंकार करते हुए अपने जवाबदावे 13क में कथन किया गया है कि वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र मौके की स्थिति के प्रतिकूल है भ्रामक है इसलिए इन्कार है। मोके की सही स्थिति को न्यायालय के समक्ष दर्शित करने हेतु इस प्रतिवादपत्र के साथ नक्शा नजरी अंग प्रतिवादपत्र दाखिल किया जा रहा है। जिसमें वादी का मकान उसका पुराना सहन व नया सहन यथास्थान दर्शित किया गया है। वादी का नया व पुराने पूरे सहन को सी,डी,ई,एफ से दर्शित किया गया है। नक्शे पर विवादित भूमि पर लाल रोसनाई की रेखाओं से अक्षर ए,बी,सी,डी से दर्शित किया गया है। प्रतिवादी व जुग्गीलाल के संयुक्त बुजुर्गी मकान को विवादित भूमि के दक्षिण में दर्शित किया गया है। नक्शे पर खण्डन्जे मार्ग को भी दर्शित किया गया है। खडन्जा के पूरब में प्रतिवादी की कालोनी व बरामदा प्रतिवादी की कालोनी के दक्षिण खडन्जे के उत्तर सहन छेदीलाल दर्शित किया गया है तथा छेदीलाल का मकान व बरामदा यथास्थान दर्शित किया गया है तथा अशोक की भी कालोनी यथास्थान दर्शित की गयी है। खग्गूलाल, रामखेलावन व रामफूल बेवा बिन्दाना का मकान नक्शे पर यथा स्थान दर्शित किया गया है। वाद में प्रतिवादी के विवादित भूमि में हक व अधिकार की जानकारी हेतु वंशवृक्ष प्रतिवादी की होना आवश्यक है जो निम्न जवाबदावे के साथ वर्णित की गयी है। नक्शा नजरी अंग प्रतिवादपत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से दर्शित विवादित भूमि के दक्षिण में बुजुर्गी मकान जुग्गीलाल व बाबूलाल दर्शित है। इस मकान को धारा 12 प्रतिवादपत्र में वंशवृक्ष के शीर्ष में स्थित प्रतिवादी के बाबालाऊ ने बनवाया था और यह मकान जमीदारी विनाश के काफी पहले से स्थित है। अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक समय का हो गया है। लाऊ की मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र रजऊ, पूरन व रामलाल के बीच मकान का बहमी बंटवारा हो गया तथा रजऊ पूरन व रामलाल की मृत्यु के बाद छेदीलाल, अशोक प्यारेलाल व बच्चूलाल व जुग्गीलाल के बीच मकान का समझौता इस प्रकार हुआ कि बुजुर्गी मकान में छेदीलाल व अशोक पुत्र रजऊ ने अपना हिस्सा छोड़कर लाऊ द्वारा ही अर्जित की गयी भूमि पर अपना मकान बनवा लिया है यह भूमि मकान छेदीलाल कालोनी अशोक से नक्शा नजरी अंग प्रतिवादपत्र में यथास्थान दर्शित किया गया है। प्यारेलाल पुत्र पूरन जो प्रतिवादी के सगे भाई हैं, अपने हिस्से के मकान व जगह को प्रतिवादी को दे दिया है और प्रतिवादी से कुछ मुआवजा लेकर अपना मकान गांव के दक्षिण छोर पर बनवा लिया है और वही आबाद हो गया है। जुग्गीलाल पुत्र रामलाल अब भी इसी मकान में प्रतिवादी के साथ काबिज हैं जिसमें इस बुजुर्गी मकान का पश्चिमी आधा भाग जुग्गीलाल के कब्जे में है। पूर्वी आधा भाग

प्रतिवादी के कब्जे में है। प्रतिवादी ने जो कालोनी व बरामदा विवादित भूमि के पूरब में खडन्जे के बाद बनवाया है वह भूमि भी प्रतिवादी के बाबा लाऊ द्वारा आर्जित की हुई भूमि है। नक्शानजरी अंग प्रतिवादपत्र में वादी का मकान यथास्थान दर्शित किया गया है। वादी का बुजुर्गी सहन उसके मकान के पश्चिम दिशा में हैं एक वर्ष पूर्व वादी ने अपने मकान में डी3 नया दरवाजा कायम करके छप्पर रख लिया और कुए के पश्चिम में अपना नया सहन कायम कर लिया है कुआ जमीदारी का है न तो वादी के बुजुर्गों का बनवाया हुआ है न ही प्रतिवादी के बुजुर्गों का बनवाया हुआ है। हम सभी मुहल्ले वाले मिलकर कुए को सुव्यवस्थित किया है। यह कुआ पूरे मोहल्ले में पानी व नहाने व ग्रहस्थी के अन्य कार्यों में उपयोग में आने वाले पानी के लिए है। कुए की कोई मिलियित वादी के पास नहीं है और न ही वह उसका मालिक है कुआ सार्वजनिक है। वादी का बुजुर्गी मकान नक्शा नजरी अंग प्रतिवाद पत्र में मकान वादी करके दिखाया गया है। वादी के पिता मेड़े के दो लड़के थे वादी व उसका भाई रामफूल मेड़े के मकान का सहन पश्चिम दिशा में था और वह अब भी कायम है। वादी के मकान से वादी के भाई रामफूल की विधवा बिन्दाना अलग होकर कुए के उत्तर दिशा में अपनी सरकारी कालोनी बनवा ली है। रामफूल की सरकारी कालोनी गॉव सभा की जगह पर वादी के मकान में अब भी कुछ हिस्सा रामफूल की विधवा बिन्दाना का बना हुआ है। इसी सम्पर्क व कुए में पानी ले ने की सुविधा में बिन्दाना विधवा रामफूल ने अपने मकान के दक्षिण में कुए की जगत पर एक दरवाजा बना रखा है। वादी के मकान के पश्चिमी सहन में वादी का बरामदा तथा नक्शा नजरी अंग प्रतिवादपत्र में डी4 से मुख्य निकास दर्शित किया है इसी सहन में वादी का बंगला रखा है। चरने बनी हैं तथा जानवर बांधे जाते हैं। विवादित भूमि जिसे नक्शा नजरी अंग प्रतिवादपत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से तथा लाल रोशनाई की रेखाओं से दर्शित किया गया है संयुक्त सहन बुजुर्गी प्रतिवादीगण व जुग्गीलाल है। इस सहन से कोई वास्ता व सरोकार वादी का नहीं है। ऐसी स्थिति में जुग्गीलाल का भी हित इस विवादित भूमि में निहित है। जिसे वादी हड़पने के उद्देस से अपनी विद्वेशपूर्ण मानसिक योजना के तहत दायर किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। जुग्गीलाल को पक्ष मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। वादी का स्वत्व प्रश्नगत भूमि पर सिद्ध नहीं है। इस प्रकार जुग्गीलाल पक्ष मुकदमा न होने के कारण मुकदमें में पक्षों के असंयोजन का दोष है। विवादित भूमि पर मुझ प्रतिवादी व जुग्गीलाल का उठक बैठक, लकड़ी कन्डा व अन्य ग्रहस्थी का सामान रखा जाता है। इस प्रकार विवादित भूमि पर वादी का कब्जा न होने के कारण दावा स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि जिसे नक्शा नजरी अंगप्रतिवादपत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से दर्शित किया गया है। प्रतिवादी के बाबा लाऊ द्वारा अर्जित की

हुई जमीन है जिस पर कब्जा प्रतिवादी बुजुर्गी जमीदारी विनाश के पहले से होने के कारण प्रतिवादी इसका मालिक व काबिज है।

4) प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त जवाबदावा कागज सं0 30ग प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादपत्र की धारा 2 में जो संशोधन करके जो कुछ जोड़ा गया है उसका उत्तर इस प्रकार है कि प्रतिवादी द्वारा जो इन्द्रा आवास कालोनी बनवायी गयी है वह प्रतिवादी के बाबा लाऊ की अर्जित की हुई भूमि पर बनी है। इस भूमि पर कालोनी बनने से पूर्व बच्चूलाल का ही कब्जा था यह जगह भी बच्चूलाल को पारिवारिक समझौते के अन्तर्गत बंटवारे में मिली थी। उसी जगह पर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से मुझ प्रतिवादी के पिता पूरन द्वारा गोड़े के रूप में उपयोग की जाती थी। इसी जगह एक नीम का पेंड़ था तथा छोटा सा बंगला जानवरों की सुरक्षा के लिए रखा जाता था। लकड़ी कन्डा आदि रखा जाता था। कुल मिलाकर बच्चूलाल की कालोनी वाली जगह कालोनी बनाने से पहले गोड़े के रूप में प्रयोग होती थी परन्तु मुकदमें में कालोनी वाली भूमि से विवाद नहीं है। इस मुकदमें में विवाद नक्शा नजरी अंग प्रतिवादपत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से दर्शित प्रतिवादी के सहन का विवाद है। सहन का उपयोग अब भी प्रतिवादी अपने बुजुर्गों के जमाने से करता चला आ रहा है। कालोनी वाली जगह भी प्रतिवादी के बाबा लाऊ द्वारा 50 साल पहले से अधिक समय के पूर्व अर्जित की गयी थी। तब से लगातार प्रवितादी व उसके बुजुर्ग उपयोग करते चले आ रहे हैं। वादी का यह कहना गलत है कि कालोनी वाली जगह पर प्रतिवादी अपनी लकडी कन्डा रखता है और जानवर बांधता है। लकड़ी कन्डा आदि रखने तथा जानबर बांधने वाला कार्य विवादित भूमि पर प्रवितादी कर रहा है। विवादित भूमि को बतौर सहन प्रतिवादी उपयोग कर रहा है तथा इसी विवादित भूमि पर प्रतिवादी अपने लकड़ी कन्डा आदि रखता है। विवादित भूमि को बतौर सहन व लकडी कन्डा आदि के रखने के रूप में उपयोग कर रहा है। पिता पूरन के अपेक्षा प्रवितादी के पास अब जानवर कम हैं। नक्शा नजरी अंग वादपत्र में जो संशोधन किया गया है। उसमें जुग्गीलाल के मकान की स्थिति भी गलत दर्शायी गयी है। जुग्गीलाल प्रतिवादी के ही मकान का सह हिस्सेदार है।

5) वादी की ओर से सूर्यबली पी0डब्लू0—1 के रूप में परीक्षित हुए हैं। जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं लंगरपुर का मूल निवासी हूॅ। मेरा मकान बुजुर्गी है। मेरे मकान के उत्तर मेरी सहन है। इसी सहन(उत्तरी) का इस वाद में विवाद है। मेरे मकान का सदरी निकास उत्तर तरफ स्थित है। जो सहन में ही खुलता है। विवादित सहन में मेरा खूटे चरही, मेरी बैलगाड़ी खड़े होते हैं और मेरे जानवर बांधे जाते हैं। विवादित सहन में मेरा बुजुर्गी कुआं है। उक्त सहन में मैं अपने जानवर को चारा खिलाता हूॅ। लकड़ी कण्डा

रखता हूँ। आवागम करता हूँ व खेती का व घरेलू सामान रखता हूँ। विवादित सहन के पूरब खडन्जा बादहू बच्चूलाल का मकान, पश्चिम आबादी खेत दुलारे, उत्तर मकान रामफूल, दक्षिण मेरा बुजुर्गी मकान स्थित है। मेरे मकान के पूरब मिला हुआ जुग्गी का मकान है। सामने जुग्गीलाल का सहन है। जो मेरे सहन से मिला हुआ है। इसी जुग्गी के मकान व सहन में प्रतिवादी का कोई हक या हिस्सा या साझा नहीं है और न ही बच्चूलाल, जुग्गीलाल वाले मकान में रहते हैं। विवादित स्थल के पूरब खडन्जे के बाद प्रतिवादी का मकान स्थित है। बच्चू के मकान के स्थान पर पहले उनकी कच्ची कोठरी थी। सहन की जगह पर अब करीब 10 साल पूर्व इन्दरा आवास योजना के तहत पैसा मिलने पर पक्का कमरा बनवा लिया है। विवादित जगह पर मेरा बुजुर्गी कब्जा है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कोई कब्जा नहीं है। वे जबरदस्ती खडन्जा लगाकर कब्जा करना चाहते हैं तभी मैने दावा दायर किया।

6) प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह किये जाने पर इस साक्षी के द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि मेरे मकान के पूरब खडन्जा व बच्चूलाल का मकान है। मेरे मकान के पश्चिम आबादी व दुलारे का खेत है। मेरे मकान के पश्चिम नया दरवाजा (खिड़की) मैने खोला है। इस खिड़की से मेरा कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। इस खिड़की से जुड़ा हुआ मेरा बरामदा है। उक्त बरामदा से मिला हुआ पश्चिम में कोई मेरा कमरा नहीं है। उक्त बरामदा के पश्चिम मेरा बंगला भी नहीं रखा हुआ है। मैने अपने मकान के पश्चिम में खिड़की खोला है। वह आबादी की तरफ खोला है। मेरे मकान के पश्चिम स्थित सहन में उठने बैठने व जानवर बांधने की कोई जगह नहीं है। यह जमीन मैने 10–12 साल पूर्व (पश्चिम वाला) कब्जा किया है। इसमें अभी मैने कोई निर्माण नहीं किया है। इस जगह का मैं कोई उपयोग भी नहीं कर रहा हूँ। जिस सहन का मुकदमा मैने कायम किया है वह मेरे पिता व बाबा के समय का है। मेरे मकान में मेरे भाई रामफूल का कोई हिस्सा नहीं है। रामफूल का मकान मेरे बाबा द्वारा बनवाया गया हैं जो पुराना है। रामफूल का सहन पूरब तरफ है। जो खडन्जा के बाद भी रामफूल का सहन वाला बरामदा खडन्जा तक है। उक्त रामफूल का सहन प्रतिवादी की कोठरी के उत्तर तरफ है। बच्चूलाल की कोठरी के दक्षिण पूर्वी कोने पर छेदीलाल का मकान है। बच्चूलाल की कोठरी के पूरब जुड़ी हुई छेदीलाल की कोठरी नहीं बनी है। फिर कहा थोड़ा कोना जुड़ा हुआ है। बच्चूलाल की कोठरी व छेदीलाल की कोठरी के बीच मात्र 3–4 फुट की जगह खाली पड़ी है। यह जगह छेदीलाल की है। छेदीलाल के कोठरी के पूरब अशोक का मकान है। अशोक के मकान के दक्षिण रामखेलावन का मकान है। रामखेलावन के मकान के पश्चिम

खडन्जे के बाद खंगू का कोई मकान नहीं है। खंगू रामखेलावन के पिता थे। अब वह मकान रामखेलावन का ही हो गया है। उक्त रामखेलावन का मकान खडन्जा के पश्चिम है। खंगू के मकान के पश्चिम जुग्गीलाल का मकान है। जुग्गीलाल के मकान के पश्चिम मेरा मकान है। जुग्गीलाल का उक्त मकान उनके पिता व बाबा का या परबाबा का रहा होता तो मुझे जानकारी नहीं है। उक्त जुग्गीलाल के मकान की सहन उत्तरी दिशा में है। यह सहन खडन्जे के पश्चिम स्थित है। जुग्गीलाल की उक्त सहन के उत्तर मेरी जगह है। दक्षिण में जुग्गीलाल का सहन है। जुग्गीलाल के पिता का नाम रामलाल था। रामलाल के पिता का नाम लाऊ था। बच्चूलाल के पिता का नाम पूरन था। पूरन के पिता का नाम लाऊ है। छेदीलाल व अशोक के पिता का नाम रजऊ है। रजऊ के पिता का नाम लाऊ है। छेदीलाल, बच्चूलाल जुग्गीलाल सब लोग अलग अलग रह रहे हैं। जो जुग्गीलाल का मकान है उसमें बच्चूलाल का कोई हिस्सा नहीं है। जुग्गीलाल के मकान का दरवाजा लगा है। दो दरवाजा नहीं लगें हैं। रामफूल के मकान का कोई दरवाजा दक्षिण कुए की तरफ नहीं है। बच्चूलाल का व मेरा मकान जुड़ा नहीं है। बच्चूलाल का मकान खडन्जा के उस पर है। बच्चूलाल की जो मैने कोठरी बताई है। उसके उत्तर में रामफूल का सहन है। दक्षिण में छेदीलाल का मकान है। जुग्गीलाल मेरी तरफ से गवाही देने को तैयार हैं। नक्शा तहसील के लोगों ने दुरूस्त किया था। वादपत्र के साथ जो नक्शा बनाया था वह गलत नहीं था। तहसील में जॉच का प्रार्थनापत्र दिया था। मैने डी0एम0 साहब को दिया था। तहसील से कानूनगो व पटवारी आये थे। यह जॉच मुकदमा दायर होने के बाद हुई थी। इस मुकदमें में कमिश्नर साहब गये थे। जब कमिश्नर साहब गये थे तब बच्चूलाल नहीं गये थे। उनके लड़के बच्चे सब थे। विवादित जगह जुग्गीलाल के मकान के उत्तर में है। विवादित भूमि उत्तर में 40 फुट लम्बी है। फिर कहा 50 फिट लम्बी है। दक्षिण तरफ 40 फिट लम्बी है। पूरब में 29 फुट लम्बी है। पश्चिम में 15 फिट लम्बी है। बच्चूलाल की कोठरी आज से 10 साल पहले गिरी थी। फिर तुडवाकर पक्की बनवायी है। मेरे पास चार जानवर हैं। बैल तीन है, भैस एक है। पडिया व गाय व बकरी नहीं है। जब पानी बरसता है तब जानवर घर ले जाकर बांधता हूँ। मेरे पास चारा काटने की मशीन है। भूसा रख्ने का बंगला नहीं है। घर में रखता हूँ। मेरा उत्तरी सदरी दरवाजा बाबा दादा का लगवाया है। कुए से पश्चिम तरफ कितना सहन है। मैने नापा नहीं है। कुए से खेत कितनी दूरी पश्चिम में है, मैं अंदाज से नहीं बता सकता हूँ। मैं आज दूसरा गवाह नहीं लाया हूँ। विवादित भूमि पर बच्चूलाल कुछ नहीं कर रहे थे। जगह हमारी थी। दावा दायर होने के तीन रोज पहले पुलिस लेकर आई थी तब दावा दायर किया था। अगल पुलिस केर न

फदाता तो दावा दायर न करते। वह अपनी जगह रहे तैं अपनी जगह रहे। मैने पुलिस कोई दरख्वास्त नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मैने जो मकान जुग्गीलाल का बताया है वह बच्चूलाल का है। यह कहना गलत है कि विवादित भूमि पर मेरा कब्जा न हो। यह भी कहना गलत है कि विवादित भूमि पर बच्चूलाल का कब्जा है। यह भी कहना गलत है कि विवादित भूमि पर बच्चूलाल का सहन है।

7) वादी की ओर से शिवचरन पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित हुए हैं। जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपना शपथपत्र 60क प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह किये जाने पर अपनी जिरह में कथन किया गया है कि मुझे सूर्यबली के मकान की जानकारी है। बच्चूलाल के मकान की भी जानकारी है। सूर्यबली के मकान के पश्चिम तरफ खिड़की है। पश्चिम तरफ खिड़की से आदमी आ–जा नहीं सकता। पश्चिम तरफ एक खिड़की है। इसी खिड़की से जुड़ा कमरा बरामदा है। वहाँ बंगला नहीं है। पश्चिम में बने बरामदे से सूर्यबली के घर के लोग आते–जाते हैं। आगे दुल्ला का खेत है। पश्चिम में बने सूर्यबली के बरामदे से 10–12 हाथ पश्चिम में जगह है। बच्चूलाल के मकान की चौहद्दी बता सकता हूँ। उत्तर में खड़ंजा है। दक्षिण में दूसरे का मकान है। पूरब में छेदीलाल का मकान है। हमें नहीं मालूम दक्षिण में किसका मकान है। जुग्गीलाल के पास इस समय कोई जानवर नहीं है। जुग्गीलाल के सहन से जुग्गीलाल का मकान दक्षिण में है। कुऑ उत्तर में है। जुग्गीलाल के सहन के सामने कुआँ है। कुआँ कितने साल पुराना है, मुझे नहीं मालूम। जुग्गीलाल के मकान के साझेदार बच्चूलाल नहीं हैं। बच्चूलाल, जुग्गीलाल के चचेरे भाई हैं। जुग्गीलाल के बगल में बच्चूलाल के बुजुर्ग का मकान बना है। सहन के सामने कॉलोनी है। बच्चूलाल के मकान के सहन में उत्तर है। वही कॉलोनी बनी है। सूर्यबली के सहन में रामफूल का मकान है। उत्तर में रामफूल के मकान के दक्षिण में नाली नहीं है। सूर्यबली के सहन के पश्चिम में दुल्ला का खेत है। सहन के दक्षिण में सूर्यबली का मकान है। सूर्यबली के सहन की लंबाई लगभग 40 हाथ पूरब–पश्चिम और चौड़ाई लगभग 20 हाथ उत्तर–दक्षिण है। सूर्यबली के सहन के उत्तर में दुलारे का खेत नहीं है। सूर्यबली के मकान की लंबाई–चौड़ाई मुझे याद नहीं है। सूर्यबली के मकान के सामने सदरी दरवाजे के ऊपर ताला डाला है। दरवाजे के करीब 20 हाथ आगे रामफूल का मकान है। रामफूल के मकान के दक्षिण में सूर्यबली के सहन में दक्षिण कुऑ बना है। कुएँ से सूर्यबली का सहन पश्चिम तरफ 10 हाथ है। बाद में बताया, कुएँ से 10 हाथ उत्तर में है। मेरा सूर्यबली से खानदान है, बोलचाल है। बच्चूलाल व जुग्गीलाल एक ही परिवार के हैं। मुझे जुग्गीलाल के बाबा का नाम नहीं मालूम।

जुग्गीलाल के बाबा का पुराना मकान कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। बच्चूलाल व जुग्गीलाल का सदर दरवाजा उत्तर दिशा में है। बच्चूलाल व बहादुर लाल का सहन रामफूल के सहन की तरफ नहीं है। बच्चूलाल के पूर्व दिशा में खग्गूलाल का मकान नहीं है, बल्कि रामखेलावन का कमरा है। खग्गू के मकान के पश्चिम में खडन्जा है। उत्तर दिशा में चला गया है। बच्चूलाल की कॉलोनी में पश्चिम में खड़ंजा है। बच्चूलाल की कॉलोनी के उत्तर में खाली जगह पड़ी है। पूर्व में छेदीलाल का मकान है। छेदीलाल के मकान का सहन पश्चिम में है। बच्चूलाल की कॉलोनी का सदर निकास पश्चिम में है, खड़ंजा की तरफ। सूर्यबली के मकान के पश्चिम में बरामदा बना है, कमरा नहीं है। इस बरामदे का उपयोग सूर्यबली अपने उठने–बैठने के लिए कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि सूर्यबली के मकान के सहन का पुराना सहन पश्चिम दिशा में है। यह कहना गलत है कि सूर्यबली के सहन का बरामदा पुराने सहन पर बरामदा बना है। यह भी कहना गलत है कि सूर्यबली के सहन का सदर निकास पश्चिम तरफ है। यह भी कहना गलत है कि बच्चूलाल का सहन उत्तर की तरफ है। यह भी कहना गलत है कि झगड़े वाली जमीन पर सूर्यबली का कब्जा न हो। यह कहना गलत है कि गॉव की पार्टी बन्दी के कारण गवाही देने आया हूँ।

8) वादी की ओर से प्रकाश पी0डब्लू0–3 के रूप में परीक्षित हुए हैं। जिनके द्वारा अपना साक्ष्य शपथपत्र 64ग प्रस्तुत किया प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह किये जाने पर इस साक्षी के द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि बच्चूलाल के चाचा के लड़के जुग्गीलाल हैं। बच्चूलाल के बाबा का नाम लाऊ है। लाऊ के तीन लड़के हैं। तीनों का नाम राजू, पुराण, रामलाल है। जिसमें जुग्गीलाल रह रहे हैं, वह मकान लाऊ का है। लाऊ के मकान का सहन उत्तर तरफ है, लेकिन पूरा नहीं है। बच्चूलाल का पट्टा कैंसिलेशन का मुकदमा उन्नाव में चला है। बच्चूलाल के खिलाफ उसमें करने में गवाही देने नहीं गए थे। सूर्यबली के मकान से मेरा मकान करीब 40 मकान दूरी पर है। इस मुकदमे में जिस जमीन का झगड़ा है, वह मैं जानता हूं। पूरे पश्चिम 40 फुट और उत्तर–दक्षिण 20 फुट पश्चिमी खेत है। दुलारे का खेत है, नंबर नहीं मालूम। पूरब में खड़ंजा है। दक्षिण में कुछ नहीं है। इस जमीन का कमीशन हुआ था, तब मैं वहां था। माप–जोख की थी कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। इसमें जुग्गीलाल रह रहे हैं, उसमें बच्चूलाल का हिस्सा नहीं है। बच्चूलाल के बाबा लाऊ का बनाया मकान में बच्चूलाल का हिस्सा नहीं है। सूर्यबली के पूरब में जुग्गीलाल का मकान है। जुग्गीलाल इस मकान में रह रहा है। जिसको लाऊ ने बनवाया है। सूर्यबली के मकान के पश्चिम में खेत है। खेत किसका है, मुझे नहीं

मालूम। सूर्यबली के मकान के पश्चिम में खिड़की है, दरवाजा नहीं है। खिड़की से जुड़ा हुआ बरामदा है। वह बरामदा झगड़े की जमीन से जुड़ा हुआ है। इस बरामदे का उपयोग बच्चूलाल नहीं, सूर्यबली कर रहे हैं। झगड़े वाली जमीन से जुड़ा हुआ बच्चूलाल का सहन नहीं है। जुग्गीलाल के मकान का सहन उत्तर दिशा में है। बिजली के खंभे से बंटवारा है। रामफूल के मकान से जुग्गीलाल वाली भूमि के बीच नाली नहीं है। कुएं का पानी भरा नहीं जा रहा है। जब पानी भरा जाता था, तब पानी ऐसे–वैसे ही बहता था। कुआं सूर्यबली के दरवाजे के सामने है। किसने बनवाया, मुझे नहीं मालूम। कुएं की मरम्मत प्रधान ने मेरे सामने नहीं करवाई। कुएं का पानी पूरा मोहल्ला भरता था। बच्चूलाल से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इस झगड़े की जमीन का मालिक सूर्यबली है। सूर्यबली के मकान का कोई बंगला नहीं है। बच्चूलाल ने अपनी सहन की जमीन में कॉलोनी नहीं बनवाया था, अपनी जमीन पर बनवाया था। इस मुकदमे को लगभग 25 साल हो गए हैं। मुझे जानकारी नहीं कि बच्चूलाल इसमें क्या करने लगे थे। यह कहना गलत है कि मेरी बच्चूलाल से दुश्मनी की वजह से न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं, या कहना गलत है कि गांव की पार्टीबंदी के कारण न्यायालय में बयान देने आया हूं।

9) प्रतिवादीगण की ओर से बच्चूलाल डी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा अपना साक्ष्य शपथपत्र 62ग प्रस्तुत किया गया है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह किये जाने पर इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि सूर्यबली ग्राम लंगरपुर के बुजुर्ग रहने वाले हैं। सूर्यबली की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई है। अब सूर्यबली के मकान में उनकी बीवी व बच्चे रहते हैं। सूर्यबली का सहन पश्चिम है, जिसमें बंगला बना है। पूरब में कोई रास्ता नहीं है। जुग्गीलाल मेरे सगे चचेरे भाई हैं, जिनका मकान सूर्यबली के मकान के पूरब जुड़ा हुआ बना है। विवादित जगह के पूरब में मेरा कॉलोनी का कमरा है। छेदीलाल का मकान मेरी कॉलोनी के उत्तर में है। दक्षिण में मेरे बाबा का मकान है। बाबा का नाम लाऊ है। जो लाऊ का मकान है, वही मेरा बुजुर्गी का मकान है। मेरे पिताजी का नाम पूरन है। उनके भाई रजऊ व रामलाल हैं। इस बुजुर्गी मकान में हम लोग रह रहे हैं। जुग्गीलाल का दरवाजा उत्तर की तरफ है। सूर्यबली का चबूतरा उत्तर की तरफ नहीं है, पश्चिम की तरफ है। सूर्यबली के सहन में कुआं, खूंटा व चरही नहीं है। बिजली का खंभा जुग्गीलाल के मुहर के सामने लगा है। सूर्यबली के उत्तर में रामफूल का मकान है। सूर्यबली और रामफूल के मकान के बीच में छह हाथ के बराबर जमीन है। विवादित जगह की लंबाई–चौड़ाई 15 फीट है। मेरा कॉलोनी का कमरा जो बना है, वह रास्ते के पूरब तरफ है। कॉलोनी का कमरा सन 1989 में मिला था। विवादित भूमि के पश्चिम में न दुलारे का खेत है

और न ही आबादी है। विवादित भूमि के पश्चिम में अब धनीराम व गुड्डू का खेत है। धनीराम व गुड्डू के खेत कैसे मिले, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। दुलारे से मिला हुआ गुड्डू आदि का खेत है। लेखपाल व कानूनगो किस मामले में गए थे, इस बात की जानकारी मुझे है। इस मुकदमे में कमीशन हुआ था, पर मैं मौजूद नहीं था। दोनों जांचें अलग–अलग हुई थीं। दोनों जांचों की रिपोर्ट फाइल पर हैं। दोनों जांच रिपोर्ट में मैंने आपत्ति लगाई है। जो आपत्ति लगाई है, इसकी जानकारी है कि क्या लगाई है। आपत्ति सूर्यबली लड़ाई–झगड़ा करके कब्जा वहां पर किए थे। लड़ाई–झगड़े की एफ0आई0आर0 कई बार कराई थी, परन्तु पत्रावली पर नहीं लगी हुई है। मैं इस मुकदमे में शपथ–पत्र बयान दाखिल किया है। मैंने अपने शपथ–पत्र में सूर्यबली की एफ0आई0आर0 लिखने की बात नहीं लिखी है। शपथ–पत्र में मैने चौहद्दी निम्नलिखित दर्शायी है। कक्षा 8 तक में पढ़ा–लिखा हूं। मैने बयान वाला हलफनामा पढ़ा था। मेरे हलफनामे में 11 धाराएं हैं। जो विवादित सहन में कुआं है, वह मेरा नहीं है, वह बुजुर्गी सार्वजनिक कुआं है। सूर्यबली के घर में कोई जानवर नहीं है। जब से मुकदमा चला, तब से नहीं है, पहले रहे होंगे। मैं इस मुकदमे में कॉलोनी वाले कमरे का कोई कागज दाखिल नहीं किया है। सूर्यबली के उत्तर में जो रामफूल का मकान है, जिसका निकास पश्चिम में है। रामफूल के मकान की दक्षिण पिछली दीवार सूर्यबली की तरफ है। मैं दो भाई हूं। मेरे सगे भाई का नाम प्यारेलाल है। जोगी लाल मेरे सगे भाई नहीं हैं, चाचा के लड़के हैं। मेरे सगे भाई प्यारेलाल अलग रहते हैं और जुग्गीलाल भी अलग रहते हैं। जुग्गीलाल की मृत्यु हो चुकी है। जुग्गीलाल की मृत्यु के बाद उनकी बीवी–बच्चे उनके मकान में रहते हैं। जुग्गीलाल के सहन की लंबाई–चौड़ाई 20 फीट है। झगड़े वाली जमीन से मेरा बुजुर्गी मकान पांच कदम की दूरी पर है। बुजुर्गी लाऊ वाले मकान के पूरब में खग्गू का मकान है, पश्चिम सूर्यबली का मकान है। यह रामखेलावन, श्रीराम और बहादुर का मकान मेरे बाबा के मकान के पूरब में है। ये दूसरे परिवार के हिस्सेदार हैं, हमारे परिवार से नहीं हैं। जुग्गीलाल का जो मकान बनाया है, वह बुजुर्गी मकान है। रहने की दिक्कत थी, गरीबी पात्रता होने के कारण सरकारी कॉलोनी मिली थी। 1989 में मुझे यह कॉलोनी मिली थी। यह रास्ता जो है, उसमें खड़ंजा लगा है, पहले नहीं था। सूर्यबली का जो मकान है, वह बुजुर्गी मकान है। जुग्गीलाल से मैं बड़ा था। जोगी लाल जब खत्म हुए तब उनकी 50 साल की आयु थी। जुग्गीलाल और सूर्यबली का आना–जाना इसी पूरब रास्ते से है। सूर्यबली के पास खेती–बाड़ी है। नक्शा देखकर बताया कि उत्तर तरफ जो दरवाजा लगा है, उससे निकल कर पहले पानी भरते थे। अब रास्ते में परेशानी के कारण अब बंद कर दिया है। पश्चिम में भी दरवाजा है। नक्शा

देखकर बताया कि उत्तर में अब कोई छप्पर नहीं है। यह कहना गलत है कि झगड़े वाली जमीन पर निर्माण करना चाहता हूं और सूर्यबली का वहां कब्जा है, या कहना गलत है कि विवादित स्थल पर कब्जा करने के लिए मैं इस मुकदमे में जुग्गीलाल के साथ शामिल हुआ हूं, या कहना गलत है कि मुकदमे में कब्जा मैं सूर्यबली के कुएं को सार्वजनिक होना कहा है।

10) प्रतिवादी की ओर से नंदकुमार डी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिनका साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–70ग दाखिल किया गया है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह किये जाने पर साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि मेरा घर अलग मोहल्ले में है तथा सूर्यबली का अलग मोहल्ले में है। मेरे मकान से सूर्यबली का मकान लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। बच्चूलाल के बाबा को जानता हूं। उनका नाम लाऊ है। लाऊ के तीन लड़के हैं रजऊ, पूरन तथा रामलाल। इन तीनों में कोई जिंदा नहीं हैं। पुरन के लड़के बच्चू, प्यारे हैं। रजऊ के लड़के छेदीलाल, अशोक हैं। रामलाल के जुग्गीलाल लड़के हैं। सभी लोग लाऊ के मकान में रहते हैं। हम खेत किसी का बटाई पर नहीं लिए हैं। हम गांव में खेत जुग्गीलाल का बटाई पर लिए हैं। सूर्यबली के लड़के जमीन का काम करते हैं कि नहीं, यह नहीं मालूम। मेरा विजय कुमार से कोई झंझट नहीं हुआ। विजय कुमार नहीं है मेरे गांव में। विजय शंकर को जानता हूं, वह भी मृतक हैं। विजय शंकर से मेरा झगड़ा नहीं हुआ। बच्चूलाल की कॉलोनी लाऊ के मकान से पूरब तरफ सहन के पार है। बच्चूलाल को कॉलोनी मिले हुए काफी समय हो गया है, लगभग 20 साल हो गया है। सूर्यबली के मकान व सहन के पूरब तरफ खड़ंजा है। रामफूल का मकान देखा है। रामफूल के मकान के पूरब में निकास है। पूरब के निकास से रामफूल निकलते हैं। नरेश आदि तथा आसपास के सभी लोग इसी खड़ंजे से निकलते हैं। हमारे सामने कोई बंटवारा नहीं हुआ है। लाऊ के परिवार का और कोई मकान नहीं है। झगड़े वाली जमीन की लंबाई व चौड़ाई नहीं मालूम। अंदाज से विवादित जगह की लंबाई व चौड़ाई 15 X12 फीट है। 15 फुट उत्तर–दक्षिण, पूरब–पश्चिम 15 फीट होगी। सूर्यबली के मकान और रामफूल के मकान के बीच में 15 फुट की जगह है। सूर्यबली के परिवार वालों से बोलचाल है, गांव के नाते। जुग्गीलाल मृतक हैं। जुग्गीलाल के परिवार में उनकी बीवी व बच्चे हैं। उनकी बीवी व बच्चे जुग्गीलाल के मकान में रहते हैं। इस मामले में जांच–पड़ताल लेखपाल द्वारा होने की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। इस मुकदमे में कोई कमीशन हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। सूर्यबली का मकान बहुत पुराना है, क्योंकि वह उनका मकान

है। इनके मकान में मैं एक दरवाजा जानता हूं, और दरवाजा नहीं जानता हूं। सूर्यबली के मकान में पहले छप्पर रखा था, अब पक्का बन चुका है। सूर्यबली के मकान के दक्षिण में रामफूल का मकान है। सूर्यबली के मकान के पश्चिम में खेत है, मकान नहीं है। लाऊ का परिवार बड़ा समझो या छोटा समझो, मैं नहीं बता सकता। सबकी खेती–बाड़ी अलग है। छेदीलाल और अशोक लाऊ के परिवार के हैं। इन दोनों के मकान अलग–अलग हैं। गांव में लाऊ के परिवार के कुल तीन मकान हैं, जिसमें उनके परिवार के लोग रहते हैं। इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बच्चूलाल ने कहा था। बच्चूलाल ने मुझे कॉलोनी के कागजात नहीं दिखाए थे। बच्चूलाल से मेरा बड़ा पुराना मेलजोल है। मेरे सामने झगड़े वाली जमीन है। सूर्यबली बाबा, बच्चूलाल के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मुकदमा को चले 25–26 साल हो गया है। दोनों पक्षों में कब्जे का झगड़ा था, मारपीट का नहीं था। यह कहना गलत है कि बच्चूलाल के परिवार का जमीन का बटाईदार हूं, इसलिए आज इस मुकदमे में झूठा बयान दे रहा हूं और सही बात बताने से बच रहा हूं।

11) उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 14.04.2001 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं।

1– क्या वादी विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज है ?

2– क्या वाद का मूल्यॉकन कम किया गया है व न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

3– क्या वाद में असंयोजन का दोष व्याप्त है ?

4– वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

12) वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची साक्ष्य 30ग से 1– छायाप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो पुरवा तहसील पुरवा जिला उन्नाव दिनांकित 20.01.2000 बाबत विवादित स्थल स्थित लंगरपुर अग्रसारित एवं हस्ताक्षरित द्वारा तहसीलदार एवं एस0डी0एम0 पुरवा, 2– शपथपत्र जुग्गीलाल प्रतिवादी का भाई दिनांक 05.09.2000, सूची साक्ष्य दिनांकित 12.10.2000 से 1– असल प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट द्वारा सुपर वाइजर कानूनगो पुरवा तह0 पुरवा जिला उन्नाव दिनांकित 20.01.2000 बाबत विवादित स्थल स्थित ग्राम लंगरपुर अग्रसारित एवं हस्ताक्षरित द्वारा तहसीलदार एवं एस0डी0एम0 दाखिल किया गया है तथा मौखिक साक्षी के रूप में सूर्यबली पी0डब्लू0–1, शिवचरन पी0डब्लू0–2 मय साक्ष्य शपथपत्र 60क, प्रकाश पी0डब्लू0–3 मय साक्ष्य शपथपत्र 64ग के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं।

13) प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौखिक साक्षी के रूप में बच्चूलाल डी0डब्लू0–1 मय साक्ष्य शपथपत्र 62ग, नन्दकुमार डी0डब्लू0–2 मय साक्ष्य शपथप 70ग के रूप में परीक्षित हुए हैं।

14) पत्रावली पर कमीशन रिपोर्ट 19ग संलग्न है।

15) मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

निष्कर्ष

16) **निस्तारण वाद बिन्दु सं0 1 :–**

17) वाद बिन्दु सं0–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि '' क्या वादी विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज है ?''

18) उपरोक्त वाद बिन्दु वादी के वादपत्र में किये गये कथनो के आधार पर विरचित किया गया है। जिसे साबित किये जाने का भार वादी पर है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में दर्शित उसके बुजुर्गी मकान अक्षर क,ख,ग,घ से सम्बद्ध अक्षर अ,ब,स,द से दर्शित की गयी भूमि उसकी सहन की भूमि है। जिसका उपयोग वह अपने बुजुर्गी जमाने से करता चला आ रहा है। जिस पर प्रतिवादी उस पर बल पूर्वक कब्जा कर रहे हैं तथा उसमें दीवाल बनाकर गैर कानूनी तरीके से घेरा बन्दी कर रहे हैं।

19) उपरोक्त के खण्डन में प्रतिवादी का कथन है कि विवादित भूमि उसकी बुजुर्गी सहन की भूमि है। उसके द्वारा वादपत्र के नक्शा नजरी को मौके की स्थिति के प्रतिकूल बताया है तथा मौके की सही स्थिति को न्यायालय के समक्ष दर्शित करने हेतु उसके द्वारा प्रतिवादपत्र के साथ नक्शा नजरी दाखिल किया गया है जिसमें उसके द्वारा वादी का मकान व उसका पुराना सहन व नया सहन यथास्थान दर्शित किया गया है। उसके द्वारा प्रतिवादपत्र नक्शे में विवादित भूमि को अक्षर ए,बी,सी,डी से दर्शित किया गया है।

20) अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या वादी अपने साक्ष्यों के माध्यम से वादपत्र नक्शा नजरी में दर्शित विवादित भूमि अक्षर अ,ब,स,द को स्वयं के मकान दर्शित क,ख,ग,घ की सहन की भूमि साबित करने में सफल रहा है। उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होगा। प्रतिवादी की कमियों का लाभ वादी को नहीं मिल सकेगा।

21) **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हबीबबुलाह आदि बनाम मो० यासिन आदि 1995 आर० डी०** पर यह विधि व्यवस्था दी है कि वादी को अपना वाद प्रमाणित करने के लिये अपने ही साक्ष्य पर भरोसा करना पडेगा। प्रतिवादी की कमियों के आधार पर वादी का वाद आज्ञिप्त नहीं किया जा सकता है।

22) उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा अपने वादपत्र में कहा गया है कि माचनित्र में प्रतिवादी का मकान य,र,ल,व से दिखाया गया है। जिसके सामने चबूतरा बना

हुआ है। तथा एन3 उसके मकान का निकास है। इस प्रकार विवादित सहन अक्षर अ,ब,स,द वादी एवं मकान प्रतिवादी के बीच में खरन्जा युक्त आम रास्ता है और प्रतिवादी का कोई हित अथवा वास्ता खरन्जा के उपरान्त अ,ब,स,द सहन वादी में होने का प्रश्न नहीं उठता है। उपरोक्त तथ्यों के खण्डन में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में यह स्पष्ट किया है कि ''नक्श नजरी अंग प्रतिवादपत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से दर्शित विवादित भूमि को दक्षिण में बुजुर्गी मकान जुग्गीलाल व बाबूलाल दर्शित है। इस मकान को धारा 12 प्रतिवादपत्र में वशवृक्ष के शीर्ष में स्थित प्रतिवादी के बाबा लाऊ ने बनवाया था और यह मकान जमीदारी विनाश के काफी पहले से स्थित है। लाऊ की मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र रजऊ, पूरन व रामलाल के बीच मकान का बहमी बंटवारा हो गया तथा रजऊ पूरन व रामलाल की मृत्यु के बाद छेदीलाल, अशोक प्यारेलाल व बच्चूलाल व जुग्गीलाल के बीच मकान का समझौता इस प्रकार हुआ कि बुजुर्गी मकान में छेदीलाल व अशोक पुत्र रजऊ ने अपना हिस्सा छोड़कर लाऊ द्वारा ही अर्जित की गयी भूमि पर अपना मकान बनवा लिया है यह भूमि मकान छेदीलाल कालोनी अशोक से नक्शा नजरी अंग प्रतिवादपत्र में यथास्थान दर्शित किया गया है। प्यारेलाल पुत्र पूरन जो प्रतिवादी के सगे भाई हैं, अपने हिस्से के मकान व जगह को प्रतिवादी को दे दिया है और प्रतिवादी से कुछ मुआवजा लेकर अपना मकान गांव के दक्षिण छोर पर बनवा लिया है और वही आबाद हो गया है। जुग्गीलाल पुत्र रामलाल अब भी इसी मकान में प्रतिवादी के साथ काबिज हैं जिसमें इस बुजुर्गी मकान का पश्चिमी आधा भाग जुग्गीलाल के कब्जे में है। पूर्वी आधा भाग प्रतिवादी के कब्जे में है। प्रतिवादी ने जो कालोनी व बरामदा विवादित भूमि के पूरब में खडन्जे के बाद बनवाया है वह भूमि भी प्रतिवादी के बाबा लाऊ द्वारा आर्जित की हुई भूमि है। नक्शानजरी अंग प्रतिवादपत्र में वादी का मकान यथास्थान दर्शित किया गया है।''

23) यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी के द्वारा अपने मकान के पूर्वी में वादपत्र नक्शा नजरी में भी जुग्गीलाल का मकान दर्शित किया गया है। प्रतिवादपत्र में उपलब्ध वंशवृक्ष के अवलोकन से यह विदित होता है कि जुग्गीलाल तथा प्रतिवादी बच्चूलाल एक ही परिवार के हैं। इस तथ्य का खण्डन वादी द्वारा भी अपने साक्ष्यों के माध्यम से नहीं किया जा सका है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी के कथनानुसार जुग्गीलाल का मकान व सहन जिसे वादी द्वारा अपने वादपत्र में लालरंग से दर्शित किया गया है प्रतिवादी का बुजुर्गी मकान स्पष्ट होता है। जहॉ तक प्रश्न खण्डन्जे के पार प्रतिवादी के मकान य,र,ल,व का है। उसके सम्बन्ध में प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में कहा गया है कि जिस भूमि पर उसकी कालोनी व बरामदा बना है वह उसके बाबा लाऊ द्वारा अर्जित की गयी भूमि पर बनाया गया है।

24) यद्यपि कि वादी द्वारा वादपत्र नक्शा नजरी में दर्शित सहन अक्षर अ,ब,स,द पर स्वयं

को मालिक काबिज होना कहा गया है तथा कुएं को भी अपना पूर्वजी बताया गया है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में यह कहा गया है कि ''मकान वादीगण के जानिब पश्चिम एन2 से प्रदर्शित अन्य निकास हैं, जिसके सम्मुख भी एक चबूतरा स्थित है। तत्पश्चात् थोड़ा सा सहन पश्चिमी जानिब भी वादीगण का कायम है। किन्तु इस पश्चिमी सहन का दावा हाजा में कोई विवाद नहीं है। मुजहिरा विवादित अ,ब,स,द सहन में जानवरों को बांधने हेतु कई खूटें चारा पानी हेतु दो चरन तथा एक अद्द कुआ वादी का स्थित है।'' *इस प्रकार वादी के द्वारा अपने मकान के दो सहन बताये हैं।*

25) वादी सूर्यबली पी0डब्लू0–1 द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी जिरह में कथन किया गया है कि '' मैं लंगरपुर का मूल निवासी हूॅ। मेरा मकान बुजुर्गी है। मेरे मकान के उत्तर मेरी सहन है। इसी सहन का विवाद है। मेरे मकान का सदरी निकास उत्तर तरफ स्थित है। .... मेरे मकान के पूरब खडन्जा व बच्चूलाल का मकान है। मेरे मकान के पश्चिम आबादी व दुलारे का खेत है। मेरे मकान के पश्चिम नया दरवाजा (खिड़की) मैने खोला है। इस खिड़की से मेरा कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। इस खिड़की से जुड़ा हुआ मेरा बरामदा है। उक्त बरामदा से मिला हुआ पश्चिम में कोरा कमरा नहीं है। ....मैने अपने मकान के पश्चिम में खिड़की खोला है। वह आबादी की तरफ खोला है। .. यह जमीन मैने 10–12 साल (पश्चिम वाला) पूर्व कब्जा किया है। ''

26) वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी शिवचरन पी0डब्लू0–2 के द्वारा अपनी जिरह में इस सम्बन्ध में कथन किया है कि '' पश्चिम तरफ एक खिड़की है। इसी खिड़की से जुड़ा कमरा बरामदा है। वहाँ बंगला नहीं है। पश्चिम में बने बरामदे से सूर्यबली के घर के लोग आते–जाते हैं। आगे दुल्ला का खेत है। पश्चिम में बने सूर्यबली के बरामदे से 10–12 हाथ पश्चिम में जगह है। ... सूर्यबली के मकान के सामने सदरी दरवाजे के ऊपर ताला डाला है। '' इस प्रकार साक्षी के बयान के अनुसार वादी के मकान का निकास पश्चिम वाले दरवाजे से होता है।

27) इसके अतिरिक्त साक्षी के द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि '' कुएं से सूर्यबली का सहन पश्चिम तरफ 10 हाथ है। बाद में बताया, कुऍ से 10 हाथ उत्तर में है। मेरा सूर्यबली से खानदान है, बोलचाल है। बच्चूलाल व जुग्गीलाल एक ही परिवार के हैं। '' इस प्रकार साक्षी के बयान के अनुसार सूर्यबली का सहन कुएं के पश्चिम होना बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त साक्षी की साक्ष्य के अनुसार विवादित सहन प्रतिवादी का बजुर्गी सहन होना प्रतीत हो रहा है।

28) वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी प्रकाश पी0डब्लू0–3 के द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी जिरह में कथन किया गया है कि '' लाऊ के मकान का सहन उत्तर तरफ है, लेकिन पूरा नहीं है।... बच्चूलाल के बाबा लाऊ का बनाया मकान में बच्चूलाल का हिस्सा नहीं है।

सूर्यबली के पूरब में जुग्गीलाल का मकान है। जुग्गीलाल इस मकान में रह रहा है। जिसको लाऊ ने बनवाया है। सूर्यबली के मकान के पश्चिम में खेत है। खेत किसका है, मुझे नहीं मालूम। सूर्यबली के मकान के पश्चिम में खिड़की है, दरवाजा नहीं है। खिड़की से जुड़ा हुआ बरामदा है। वह बरामदा झगड़े की जमीन से जुड़ा हुआ है। इस बरामदे का उपयोग बच्चूलाल नहीं, सूर्यबली कर रहे हैं। झगड़े वाली जमीन से जुड़ा हुआ बच्चूलाल का सहन नहीं है।'' इस प्रकार इस साक्षी के बयान के अनुसार जुग्गीलाल वाला मकान प्रतिवादी के बाबा लाऊ द्वारा का बनवाया गया है के उत्तर में उसका सहन है तथा सहन को बिजली के खम्भे तक बताया गया है तथा सूर्यबली के मकान के पश्चिम में खिड़की है तथा उससे जुड़ा हुआ बरामदा होना कहा गया है।

29) उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वादी के द्वारा मकान नक्शा नजरी में दर्शित अक्षर क,ख,ग,घ के दो सहन (मकान के उत्तर तरफ तथा मकान के पश्चिम तरफ)होना कहा गया है।

30) ऐसी परिस्थिति में वादी का यह कथन है कि उसके मकान का मुख्य निकास उत्तर दिशा की ओर है और वह उसी निकास से अपने मकान में आवागमन करता है। किन्तु वादी के इस कथन का समर्थन उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षियों से मेल नहीं खाता है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी संख्या–2 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि वादी के मकान के उत्तर दिशा स्थित निकास के दरवाजे पर ताला पड़ा है तथा वादी का वास्तविक आवागमन पश्चिम दिशा स्थित दरवाजे/निकास से होता है। इस प्रकार, वादी के स्वयं के साक्षी का कथन वादी के मुख्य कथन के विपरीत है और यह परिस्थिति वादी के निकास के सम्बन्ध में विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाती है तथा प्रतिवादी के द्वारा प्रतिवादपत्र में किया गया कथन कि ''वादी ने एक वर्ष पूर्व अपने मकान में डी3 नया दरवाजा कायम करके छप्पर रख लिया है और कुए के पश्चिम में अपना नया सहन कायम कर लिया है '' को बल मिलता है।

31) इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यदि वास्तव में वादी का उत्तर दिशा वाला निकास ही उसका मुख्य निकास होता, तो सामान्यतः उससे नियमित आवागमन होना चाहिए था। परन्तु जब साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त उत्तर दिशा वाले निकास पर ताला लगा रहता है, तब यह स्वीकार किये जाने योग्य पर्याप्त आधार नहीं रह जाता कि यही वादी का वास्तविक मुख्य निकास है। इसके विपरीत, पश्चिम दिशा से वादी के आवागमन की बात अधिक स्वाभाविक और साक्ष्य–सम्मत प्रतीत होती है।

32) उल्लेखनीय है कि यदि वादी के कथनानुसार उसके मकान के पश्चिम दिशा में केवल खिड़की खुली हुई है और वह उस ओर से न तो आता–जाता है और न ही उसे निकास के रूप में उपयोग करता है, तो फिर यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उसी पश्चिम

दिशा से लगा हुआ उसने बरामदा किस उद्देश्य से बनवाया। सामान्य रूप से बरामदा उसी स्थान पर निर्मित कराया जाता है जहाँ से मकान में निवास करने वाले व्यक्तियों का उपयोग, बैठना, उठना–बैठना अथवा आवागमन जुड़ा होता है। यदि पश्चिम दिशा का भाग मात्र खिड़की तक सीमित होता, तो वहाँ बरामदे के निर्माण का औचित्य संदिग्ध प्रतीत होता है। वादी द्वारा अपने मकान के पश्चिम दिशा से सम्बद्ध भूमि को भी अपना "सहन" बताया गया है जो उसके कथनों को कमजोर बनाता है। यदि वह वास्तव में केवल खिड़की वाला भाग होता और आवागमन से उसका कोई सम्बन्ध न होता, तो वादी के द्वारा उसे सहन के रूप में वर्णित करने का कोई तार्किक आधार नहीं बनता।

33) इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा सूची साक्ष्य 33ग के माध्यम से कागज सं0–33ग/2 व सूची साक्ष्य दिनांकित 12.10.200 जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह छायाप्रति है, उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार, किसी दस्तावेज़ का सर्वोत्तम साक्ष्य मूल दस्तावेज होता है तथा छायाप्रति मात्र तभी स्वीकार्य है, जब इसकी प्रमाणिकता एवं मूल दस्तावेज अनुपलब्ध होने का पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो, और न्यायालय की संतुष्टि हो। अतः उक्त प्रपत्र की छायाप्रति विधि अनुसार साक्ष्य में मान्य नहीं है।

34) यद्यपि कि वादी के द्वारा सूची साक्ष्य 33ग/3 से जुग्गीलाल का शपथपत्र दाखिल किया गया है। जिसमें उसके द्वारा बच्चूलाल विगत 10 वर्षों से रास्ते के पूरब रहने तथा सूर्यबली के सहन में ही उसकी चरही कुआ व खूटे इत्यादि स्थित होने का कथन किया गया है परन्तु आदेश 19 नियम 2 जा0दी0 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिवादी को जुग्गीलाल से जिरह करने का अधिकार प्राप्त था, परन्तु वादी के द्वारा उसे न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षा/जिरह के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में बिना प्रतिपरीक्षा/जिरह किये हुए, जुग्गीलाल का शपथपत्र साक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं रह जाता।

35) जहॉ तक प्रश्न कमीशन आख्या कागज सं0– 19ग का है। कमीशन आख्या के साथ संलग्न नक्श नजरी के अवलोकन सह यह विदित होता है कि उक्त कमीशन कार्यवाही पैमाने पर नहीं की गयी है। चूँकि कमीशन कार्यवाही में उल्लेखित विवादित भूमि को अंग्रेजी अक्षरों से दर्शित किया गया है उसकी किसी भी प्रकार की माप पैमाने पर दर्शित नहीं की गयी है। ऐसी परिस्थिति में विवादित भूमि काबिले शिनाख्त नहीं है। स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में विवादित स्थल की शिनाख्त होना अति आवश्यक है। वादी के द्वारा अपने वाद में एक ओर विवादित भूमि को अपने सहन की भूमि बतायी गयी है तथा दूसरी ओर उक्त भूमि पर अपने लम्बे समय से कब्जे को बताते हुए सुखाधिकार की बात कही गयी है। जब कि उपरोक्त दोनों शब्दों का परस्पर अलग–अलग अर्थ है। ऐस प्रतीत हो

रहा है कि वादी स्वच्छ हॉथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है।

36) वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी अपने साक्ष्यों के माध्यम से विवादित भूमि वादपत्र नक्शा नजरी में दर्शित अक्षर अ,ब,स,द को अपने सहन की भूमि तथा उस पर अपना स्वत्व व विधि अनुसार कब्जा को साबित कर पाने में असफल रहा है। अतः यह वाद बिन्दु सं0–1 वादी के विरूद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है एवं निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–2–</u>

37) वाद बिन्दु सं0– 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि '' क्या वाद का मूल्यॉकन कम किया गया है व न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

38) उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण दिनांक 19.7.2001 को किया जा चुका है। जो कि निर्णय का अंश होगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–3–</u>

39) वाद बिन्दु सं0–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि '' क्या वाद में असंयोजन का दोष व्याप्त है ?

40) उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। दौरान बहस प्रतिवादी के द्वारा कहा गया है कि विवादित भूमि उसके बुजुर्गी मकान का सहन है तथा उक्त मकान से जुड़े जुग्गीलाल आवश्यक पक्षकार थे परन्तु उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः मुकदमें में पक्षों के असंयोजन का दोष है। जैसा कि वादी द्वारा स्वयं अपनी साक्ष्य पी0डब्लू0–1 में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि मेरे मकान के पूरब मिला हुआ जुग्गीलाल का मकान है सामने जुग्गीलाल का सहन है। ...जुग्गीलाल के पिता का नाम रामलाल है। रामलाल के पिता नाम लाऊ था। बच्चूलाल के पिता का नाम पूरन था। पूरन के पिता का नाम लाऊ है। छेदीलाल व अशोक के पिता का नाम पूरन था। पूरन के पिता का नाम लाऊ है। छेदीलाल, बच्चूलाल जुग्गीलाल सब लोग अलग अलग रह रहे हैं। ''

41) इस प्रकार उपरोक्त साक्षी द्वारा स्वयं अपनी जिरह में कथन किया गया है कि बच्चूलाल व जुग्गीलाल एक ही परिवार के सदस्य हैं। यद्यपि कि प्रतिवादी का यह कथन है कि आज भी विवादित मकान व सहन के आधे भाग पर उसका कब्जा है व आधे भाग पर जुग्गीलाल का कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि विवादित भूमि उसके बुजुर्गी मकान के सहन की भूमि है, परन्तु वादी द्वारा जुग्गीलाल को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इस कारण दावा में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। अतः यह वाद बिन्दु वादी के विरूद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है एवं

निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0–4–

42) यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि '' वादी किस अनुतोष को पाने का अधिकारी है ?''

चूँकि मुख्य वाद–बिन्दु संख्या 01 वादी के विरूद्ध निस्तारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। तद्नुसार वाद–बिन्दु संख्या–04 निस्तारित।

43) उपरोक्त समस्त विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों के सूक्ष्मावलोकन उपरान्त न्यायालय का अभिमत है कि, दावा वादी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

44) दावा वादी सव्यय निरस्त किया जाता है। वाद–व्यय पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करेगें।

दिनांक–13.05.2026

(हिमानी गौतम)
सिविल जज (जू0डि0)
पुरवा,उन्नाव।
आई.डी.–UP4850

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षंरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 13.05.2026

(हिमानी गौतम)
सिविल जज (जू0डि0)
पुरवा,उन्नाव।
आई.डी.–UP4850